महर्षिपाणिनिसंस्कृतवैदिकविश्वविद्यालयः
MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA
(देवासमार्गः, उज्जयिनी (मध्यप्रदेशः) 456010
E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com, Website- www.mpsvvujjain.org.

क्र. / पासंवि / शोध / 21 / 438 उज्जैन, दिनांक: 21 / 09 / 2021

अधिसूचना

शोध प्रवेश परीक्षा 2021–22
RESEARCH ENTRANCE TEST 2021-22
(RET-2021-22)
विद्यावारिधि / (पीएच.डी) प्रवेश परीक्षा

यह अधिसूचित किया जाता है कि महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन में सत्र 2021–22 के लिये अर्हताधारी अभ्यर्थियों से वेद, व्याकरण, ज्योतिष भारतीय दर्शन तथा संस्कृत साहित्य में विद्यावारिधि (पीएच.डी) उपाधि हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा के लिए दिनांक 10.10.2021 तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट WWW.mpsvv.ac.in के माध्यम से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेवसाइट WWW.mpsvv.ac.in पर देखें।

कुलसचिव

क्र. / पासंवि / शोध. / 21 / 439 उज्जैन, दिनांक: 21 / 09 / 2021

प्रतिलिपि–

1. माननीय कुलपति जी / एवं कुलसचिव जी के निज सहायक महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन।
3. वित्त नियन्त्रक, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त संकायाध्यक्ष की ओर सूचनार्थ।
6. समस्त विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग की ओर सूचनार्थ।
7. श्रीमान सम्पादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र...में निशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित
8. सम्बन्धित पत्रावली

कुलसचिव

महर्षिपाणिनिसंस्कृतएवंवैदिकविश्वविद्यालय

MAHARSHI PANINI SANSKRIT EVAM VEDIC VISHWAVIDYALAYA

देवासमार्ग, उज्जैन (मध्यप्रदेश)पिन - 456010

E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com, Website- www.mpsvv.ac.in

शोध प्रवेश परीक्षा 2021–22

RESEARCH ENTRANCE TEST 2021-22

(RET-2021-22)

विद्यावारिधि / (पीएच.डी) प्रवेश परीक्षा

सामान्य नियम एवं निर्देश

1–विश्वविद्यालय का परिचय :

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संस्कृत भाषा, शास्त्र परम्परा एवं प्राचीन ज्ञान–विज्ञान को संरक्षित करने तथा आधुनिक वैज्ञानिक विधि से अनुसन्धान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ''महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2006'' के अनुसार 17 अगस्त 2008 को भगवान् महाकालेश्वर की पुण्य नगरी उज्जैन में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की धारा 2 (F) के अन्तर्गत यह विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त है तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU) का भी सदस्य है। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। विश्वविद्यालय से कुल 20 शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय सम्बद्ध है।

2–शोध उपाधि का परिचय :

विद्यावारिधि (पीएच.डी.) उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डॉक्टोरल उपाधि के रूप में अधिमान्य है। इसका प्रमाणपत्र संस्कृत भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के अनुवाद सहित प्रदान किया जाएगा यह उपाधि भारत के अन्य विश्वविद्यालयों की पीएच.डी. उपाधि के समान है। विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल उद्देश्यों की प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत शोध उपाधि के प्रबन्ध (Thesis) का लेखन संस्कृत भाषा में ही किया जाना अनिवार्य होगा।

3–प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता

3.1 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सम्बद्ध विषय में एम्.फिल. उपाधि कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त कर सफलता पूर्वक एम्.फिल. उपाधि (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनाई जाती है, वहां बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड) प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शोध कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

3.2 ऐसा अभ्यर्थी जिन्होंने संस्कृत पारम्परिक विषय में आचार्य / एम.ए. (संस्कृत) अथवा समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, मानित विश्वविद्यालयों से न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7 बिन्दु मानक पर 'बी' ग्रेड प्राप्त किये हों (अथवा जहाँ कहीं भी ग्रेडिग प्रणाली अपनाई जाती है, वहां बिन्दु मानक पर समकक्ष ग्रेड) प्राप्त की हो वे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है।

3.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त (दिव्यांग) अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर में 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत अंकों तक अर्थात् अंकों में 5 प्रतिशत की छूट अथवा ग्रेड में समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी।

3.4 ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं किन्तु परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है वे भी इस प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने के योग्य माने जाऐंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित योग्यता के अनुरूप अंक पत्र (अर्हंकारी प्रतिशत के साथ) पंजीकरण के पूर्व जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

4–पाठ्यक्रम की अवधि :

4.1 विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम की अवधि न्यूनतम तीन वर्ष की होगी जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कार्य (कोर्स वर्क) भी शामिल होगा तथा अधिकतम अवधि छह वर्ष होगी।

4.2 पीएच.डी. के लिए निर्धारित समयावधि महिला अभ्यर्थी तथा निःशक्त व्यक्ति (जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक हो) उन्हे विद्यावारिधि (पीएच.डी.) के लिए अधिकतम दो वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त महिला अभ्यार्थियों को विद्यावारिधि (पीएच.डी.) की समग्र अवधि में एक बार 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश/शिशु देख भाल अवकाश आवश्यक होने पर प्रदान किया जा सकता है।

5–प्रवेश हेतु चयन प्रक्रियाः

5.1 विद्यावारिधि (पीएच.डी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसे ''शोध प्रवेश परीक्षा'' (RET) कहा जाएगा।

5.2 जिन छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित पारम्परिक संस्कृत (कोड़ 73) एवं संस्कृत (कोड 25) विषय में यूजीसी–नेट (जेआरएफ सहित)/स्लैट/गैट/शिक्षक अध्येतावृत्ति अथवा जिन्होंने एम्.फिल. पाठ्यक्रम (जैसाकि 3.1 में कहा गया है) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए एम्.फिल. /विद्यावारिधि (पीएच.डी.) प्रवेश परीक्षा से छूट दी जाएगी।परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को निर्धारित शुल्क के साथ में निर्दिष्ट समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

5.3 प्रवेश परीक्षा अधिसूचना के साथ–साथ उपलब्ध स्थान एवं शोध केन्द्रों तथा शोध निर्देशकों की सूची प्रकाशित की गई है तद्नुसार अभ्यर्थी वरीयताक्रम में अपनी पसन्द के शोध केन्द्र का उल्लेख कर सकता है इसी क्रम के आधार पर शोध केन्द्र का आवंटन किया जा सकेगा। प्रवेश हेतु प्रावीण्य सूची का प्रकाशन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाएगा।

5.4 प्रवेश हेतु नियमानुसार मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

5.5 प्रवेश परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाईटwww.mpsvv.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

6–आवेदन शुल्कः

1. प्रवेश परीक्षा शुल्क रूपये 1,500/–(एक हजार पाँच सौ मात्र)
2. प्रवेश आवेदन शुल्क रूपये 272/–(दो सौ बहत्तर मात्र)

7–विद्यावारिधि हेतु उपलब्ध स्थानः

विद्यावारिधि (Ph.D.) पंजीकरण हेतु सत्र 2021–22 के लिए उपलब्ध स्थानों का विवरण निम्नानुसार है–

क्रं.	विषय	विद्यावारिधि (पीएच.डी.) मेंउपलब्ध स्थान
1	वेद	04
2	व्याकरण	13
3	ज्योतिष	03
4	संस्कृतसाहित्य	05
5	भारतीय दर्शन	02
	कुल संख्या	**27**

8–शोध पाठ्यक्रम शुल्कः (चयनित होने के उपरान्त देय शुल्क)

1.	पंजीयन शुल्क	–	5000
2.	सुरक्षित निधि (शोध केन्द्रमें देय)	–	2500
3.	शिक्षण शुल्क (प्रति छह माह)	–	5000
4.	पुस्तकालय शुल्क (प्रति छह माह)	–	1000
5.	कोसवर्क शुल्क	–	12000
6.	शोध प्रबन्ध प्रस्तुतीकरण शुल्क	–	7000

(अन्य प्रकार के विविध शुल्क विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होंगे)।

9–छात्रवृत्तिः

विद्यावारिधि (P.H.D) पाठ्य क्रम में प्रवेश प्राप्त शोधार्थी नियमानुसार अर्हता होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/मध्यप्रदेश शासन/राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली एवं अन्य संस्थाओं की छात्रवृत्ति के लिए विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

10–परीक्षा केन्द्रः–

प्रवेश परीक्षा का आयोजन निर्धारित तिथि में विश्वविद्यालय मुख्यालय उज्जैन के परीक्षा केन्द्र में किया जायेगा।

11–विद्यावारिधि प्रवेश परीक्षा विवरणः–

1. प्रवेश परीक्षा में निम्नानुसार दो प्रश्न पत्र होगें–
   प्रथम प्रश्न पत्र– शोध अभियोग्यता– 50 प्रश्न (वस्तुनिष्ठ)
   द्वितीय प्रश्न–पत्र प्रथम खण्ड (संस्कृत वाङमय परिचय)– 25 प्रश्न (विवरणात्मक)
2. प्रथम प्रश्नपत्र में न्यूनतम 50 (पचास) प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की ही द्वितीय प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जायेगा।
3. द्वितीय प्रश्नपत्र में भी 50(पचास) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, इसके पश्चात् वरीयता क्रम से उर्त्तीण अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
4. वरीयता क्रम से चयनित अभ्यिर्थी को शोध रूचि/क्षेत्र पर मौखिक चर्चा/साक्षात्कार हेतु विभागीय शोध समिति (DRC) के समक्ष उपस्थित होकर चयनित विषय पर कम से कम दस मिनिट का प्रस्तुतिकरण (PPT) देना होगा।
5. विभागीय शोध समिति (DRC) निम्न बिन्दुओं पर विचार करेगी–
   क. क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।
   ख. क्या प्रस्तुत शोध कार्य सुलभता पूर्वक विश्वविद्यालय/शोधकेंन्द्र में संचालित किया जा सकता है।
   ग. क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।
   घ. विभागीय शोध उपाधि समिति (DRC) में प्रस्तुतिकरण के उपरान्त प्रस्तुत विषय पर शोध प्रारूप तैयार कर शोध उपाधि समिति (RDC)के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा शोध उपाधि समिति (RDC) से विषय स्वीकृत होने पर ही पंजीयन किया जा सकेगा।
   ड. स्थान रिक्त नहीं होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी।

12–''अन्तःशास्त्रीय शोध'' (**Inter Disciplimary research**):–

यदि कोई अभ्यर्थी अन्तः शास्त्रीय शोध करने का इच्छुक हो तो वह स्नातकोत्तर स्तर पर जिस शास्त्र का अध्ययन किया गया है उसके आधार पर वह अधीत शास्त्र से सम्बद्ध विषय वर्ग में ''अन्तःशास्त्रीय शोध'' (Inter Disciplimary research) करने के लिए भी आवेदन कर सकता हैः–

13– अत्यावश्यक सूचनाः–

1. निर्देशिका में प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी समस्त आवश्यक सूचनाएँ दी गई हैं अतः आवेदन करने से पूर्व समस्त नियमों एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं का सत्यापन प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश के समय किया जाएगा किसी भी प्रकार की सूचना प्रमाणित न होने पर अथवा अपुष्ट सूचना पाये जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी। एसी स्थिति में प्रवेश परीक्षा से वंचित/प्रवेश पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।

3. आवेदन पत्र पर अपनी नवीनतम दिनांक सहित स्पष्ट फोटो चस्पा करें। परीक्षा/प्रवेश के समय फोटो एवं हस्ताक्षर के मिलान नहीं होने की स्थिति में परीक्षा से निष्कासन/प्रवेश निरस्ततीकरण आदि कार्यवाही की जा सकती है।

14– अन्य आवश्यक निर्देशः–

1. केवल अर्ह अभ्यर्थी ही लिखित प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। यदि कोइ अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता के अभाव में इस प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो जाता है तो वह स्वयं व्यक्तिगण रूप से इसके परिणाम के लिए उत्तरदायी होगा।

2. प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम मान्य होगा

3. न्यायिक विषयों में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इन्दौर खण्डपीठ का क्षेत्राधिकार होगा।

4. किसी भी स्थिति में उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन नही किया जाएगा

5. प्रवेश पत्र के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश नही दिया जाएगा

15– परीक्षा सम्बन्धी निर्देशः–

1. प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षार्थी नीला/काला बालपेन लेकर आएं।

2. अनुचित साधन का प्रयोग करने अथवा परीक्षा कक्ष की मर्यादा/अनुशासन भंग करने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी।

3. परीक्षा भवन में मोबाइल फोन, केलकुलेटर, स्मार्ट घड़ी एवं अन्य उपकरणों को लाना सर्वधा वर्जित है।

4. परीक्षा आरम्भ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा स्थल पर पहुँचे।

5. परीक्षा आरम्भ होने के 15 मिनिट बाद किसी भी स्थिति में परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा

16– प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी प्रमुख तिथियाँः–

1.	आवेदन पत्र पर उपलब्ध होने की तिथि	23/09/2021	परीक्षा स्थान
2.	आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	10/10/2021	विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग उज्जैन
3.	प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि	18–19/10/2021	विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग उज्जैन
4.	प्रवेश परीक्षा तिथि	20/10/2021	विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग उज्जैन
5.	परीक्षा समय	प्रातः 10:00 से 01:30 तक	विश्वविद्यालय अध्यापन विभाग उज्जैन

विशेष सूचना–उक्त प्रवेश परीक्षा हेतु 18–19/10/2021 प्रातः 10:00 से 01:00 तक महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में निःशुल्क मार्गदर्शन कक्षाओं का आयोजन किया जायेगा इच्छुक अभ्यर्थी कक्षाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

21/9/21

कुलसचिव